राजस्थान सरकार
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र
योजना भवन, जयपुर

क्रमांक: प.1 (1) स्वक्षे.वि.के. / आयो / 22 / 3 दिनांक: 22-03-2022

जिला कलक्टर,
समस्त

विषयः– स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाणन (Accreditation) बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है, जिसकी प्रतिनिधी सस्था के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान सरकार द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में श्री मुमताज मसीह को मनोनित किया गया है। केन्द्र का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन (GOOD GOVERNANCE) को प्रोन्नत करने के साथ ही स्वैच्छिक संगठनो की प्रथम बार मान्यता प्रक्रिया / नवीनीकरण की प्रक्रिया का प्रबंधन कर लागू करना शामिल है। इस हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं (NGO/TRUST/FOUNDATION etc.), जो केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का अनुदान / सहायता प्राप्त कर रहें है या राजस्थान में कार्य कर रहें है, को भविष्य में राजस्थान क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर में रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाणन (Accreditation) आवश्यक होगा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुरूप जनकल्याणकारी नीतियों के शत–प्रतिशत प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का राज्य के बहुमुखी विकास मे योगदान हेतु यह अपेक्षित है कि सभी स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं (NGO/TRUST/FOUNDATION etc.) का स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर में रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाणन (Accreditation) आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में सभी विभागों, स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर में रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाणन (Accreditation) कराने के लिए स्थानीय माध्यम से प्रभावी प्रचार–प्रसार एवं सूचित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– **वीएसडीसी गठन की आज्ञा**

भवदीय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर